<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.क.—549 / 2008</u> संस्थित दिनांक—07.08.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — <u>अभियोजन</u>

// <u>विरुद</u> //

कोमलिसंह पिता लक्ष्मण उर्फ भोला, उम्र 30 वर्ष निवासी–भालापुरी थाना गढ़ी, जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — <u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक—22 / 08 / 2014 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380 एवं सहपित धारा—511 के तहत् आरोप है कि घटना दिनांक—05.08.2008 से दिनांक—06.08.2008 की दरिमयानी रात्रि 12:30 बजे ग्राम बलगांव थाना गढ़ी अंतर्गत प्रार्थी जयसिंह गोंड के घर में चोरी करने के आशय से जो मानव निवास व सम्पित अभिरक्षा के उपयोग में आता है, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार किया और प्रार्थी जयसिंह गोंड के घर जो सम्पित्त अभिरक्षा में उपयोग में आता है, में सम्पित्त बेईमानी से ले लेने के आशय से चोरी कारित करने का प्रयत्न किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—05.08.2008 से दिनांक—06.08.2008 की दरिमयानी रात्रि 12:30 बजे ग्राम बलगांव थाना गढ़ी अंतर्गत प्रार्थी अपने घर पर अपने परिवार के साथ सो रहा था तथा बाजू वाले कमरे में उसकी भांजी संगीता तथा भांजा खेलिसेंह सो रहे थे तो लगभग 12:30 बजे उसकी भांजी संगीता के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वह तथा उसकी पितन ने उठकर देखा तो चोर दरवाजे से निकल कर बस्ती तरफ भाग गया था। सुबह उसे पता चला कि जो व्यक्ति उसके घर रात में चोरी करने घुसा था वह गांव के दलिसेंह के घर में सोया है। उसने उक्त घटना की जानकारी गांव के सरपंच को दिया तथा सरपंच के साथ वह दलिसेंह के घर जाकर पूछे तो उसने बताया कि ग्राम भालापुरी का कोमल उसके घर रात में करीब 1:00 बजे आया तथा सो गया है। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में की गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गढ़ी में आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—61/2008 अंतर्गत

धारा—457, 380 एवं सहपठित धारा—511 भा.द.सं. पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षीयों के कथन लेखबद्ध किये, तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380 एवं सहपठित धारा—511 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी का अभियुक्त परीक्षण धारा—313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4—

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

- 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक—05.08.2008 से दिनांक—06.08.2008 की दरमियानी रात्रि 12:30 बजे ग्राम बलगांव थाना गढ़ी अंतर्गत प्रार्थी जयसिंह गोंड के घर में चोरी करने के आशय से चोरी करने के आशय से जो मानव निवास व सम्पति अभिरक्षा के उपयोग में आता है, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार किया?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जयसिंह गोंड के घर जो सम्पत्ति अभिरक्षा में उपयोग में आता है, में सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय से चोरी कारित करने का प्रयत्न किया?

विचारणीय बिन्द् क.-1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष:-

5— जयसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दो वर्ष पूर्व रात के 12—1 बजे की है, वह तथा उसकी पिल सहबतीयाँ बाई एक कमरे में सोई थी तथा दूसरें कमरे में उसकी भांजी संगीता सोई थी। रात में घर में से भड़ाम—भड़ाम की आवाज सुनायी दी तो उसकी भांजी संगीता कहने लगी कि कोई चोर घर में घुसा है तो वह उठकर देखे तो चोर वहां से निकलकर भागा और शायद जंगल की ओर निस्तार के लिए जाते है वहां जाकर छुप गया। दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति घर के सामने से निकल रहा था तो उन लोगो ने उसे पकड़कर पूछताछ किया तो उसने खुद का नाम कोमल बताया और बताया कि रात में वही चोरी के उद्देश्य से घुसा था। उन लोगो ने उसे पकड़कर सरपंच हजारी के पास लेकर गये तो सरपंच ने कहाँ कि रिपोर्ट कर दो तो उन लोगों ने उक्त घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके घर पर आयी थी तथा उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पृछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने घटना के वृतांत के संबंध में रिपोर्ट के अनुरूप कथन किये है,

किन्तु आरोपी के द्वारा किस आशय से उसके घर में प्रवेश किया गया, यह तथ्य साक्ष्य में नहीं बताया है।

- 6— सहबतीयाँबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना दो वर्ष पूर्व रात के 2 बजे की है, वह और उसके पित एक कमरे में सोये थे तथा उसकी भतीजी और उसका छोटा भाई सो रहे थे तो रात को कहाँ से पता नहीं आरोपी घुसा और शोर होने के कारण वह लोग जाग गये तथा उसे पकड़ने की कोशिश किये तो वह भाग गया। उन्होंने रात में ही आरोपी को पकड़ लिये थे और फिर उसे सरपंच के यहां ले गये थे, सरपंच ने सुबह रिपोर्ट लिखवा देने कहा था तो उन्होंने आरोपी को सरपंच के यहां छोड़ दिये और सुबह जाकर रिपोर्ट लिखवाये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी घर में कैसे घुसा उसकी जानकारी नहीं हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को घर से निकलते हुए नहीं देखा था, आरोपी जब अपने गांव जा रहा था तब उसे पकड़ा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसने स्वयं आरोपी को कथित घटना के समय उसके घर में प्रवेश करते हुए या कथित चोरी के प्रयत्न करते हुए देखा हो।
- 7— संगीता (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को घटना समय से जानती है। घटना दिनांक को वह अपने मामा के यहां रहती थी। उसके मामा, मामी घर की दहल में सोये हुए थे तथा वह अपने भाई के साथ दूसरे कमरे में सोई थी। रात्रि में जब वे लोग सोये थे तो घर के दरवाजे में मडांग की आवाज सुनायी आई तो उसने अपने मामा, मामी को जगायी। उसने रात्रि में ही आरोपी को देखकर पहचान ली थी। आरोपी ही उनके घर में घुसा था। चिल्लाने की आवाज से आरोपी कोमल भाग गया था, जिसे सुबह पहचान कर आरोपी को पकडे थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण मे यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसके गांव का है, इस कारण उसे पहचानती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब उसने आरोपी को पीछे से भागते हुए देखा तब घर के बाहर अंधेरा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी किस उद्देश्य से आया था, वह इसका कारण नहीं बता सकती। इस साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसने आरोपी को स्वयं घर में प्रवेश करने के पश्चात् देखा था, किन्तु साक्षी ने साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घर में प्रवेश करने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही साक्षी के द्वारा आरोपी किस उद्देश्य से घर में प्रवेश करने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही साक्षी के द्वारा आरोपी किस उद्देश्य से घर में प्रवेश करने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही साक्षी
- 8— अन्य साक्षी हजारीलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को तथा प्रार्थी को जानता है। प्रार्थी जयसिंह उसके चाचा है। घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व ग्राम बलगांव की है, उसे घटना के बारे में जयसिंह ने बताया था कि आरोपी कोमलसिंह घर में घुसा था। आरोपी के पिता को बुलाने की बात हुई थी, उसने आरोपी के पिता को बुलाने भेजे थे उसके बाद वह वापस आ गया था। पुलिस ने उसके बयान नहीं ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी

ने अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आरोपी के द्वारा कथित चोरी करने के इरादे से घर में प्रवेश करने के बारे में जानकारी न होने के बारे में प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी.पी.दुबे (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—06.08.2008 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी जयसिंह की रिपोर्ट पर आरोपी कोमलसिंह के विरुद्ध अपराध कमांक—61/08, धारा—457, 380, 511 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक को ही उसने मौके पर जाकर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही साक्षी हजारीसिंह, जयसिंह, संगीताबाई, सहबतीयाँबाई, दलसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी—3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी दलसिंह (अ.सा.४) ने उसकी साक्ष्य में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा आरोपी की गिरफतारी कार्यवाही का समर्थन किया है। मामले में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी के द्वारा फरियादी जयसिंह के आवासीय मकान में रात्रि के समय प्रवेश किया गया था, किन्तु मात्र आवासीय मकान में प्रवेश किये जाने के तथ्य से यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि आरोपी ने कथित चोरी करने के आशय से उक्त आवासीय मकान में प्रवेश किया था या चोरी का प्रयत्न किया था। वास्तव में सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य में इस महत्वपूर्ण तथ्य का अभाव है कि आरोपी ने फरियादी के आवीसीय मकान में कथित घटना के समय कोई अपराध कारित करने या किसी व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से प्रवेश किया।

11— आरोपी के विरुद्ध महत्वपूर्ण रूप से कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन के अपराध का आरोप है। उक्त अपराध के गठन हेतु सर्वप्रथम यह तथ्य प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि आरोपी ने किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर इस आशय से प्रवेश किया हो कि वह कोई अपराध करे या उस व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति में प्रवेश किया है, उसे अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे। अभियोजन मामले में उक्त अपराध के पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक तथ्य का अभाव है। अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि आरोपी ने फरियादी के आवासीय घर में कथित अपराध कारित करने या किसी को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए प्रवेश किया था। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा आपराधिक अतिचार का अपराध करने का तथ्य प्रमाणित किये बिना यह

तथ्य प्रमाणित नहीं हो सकता कि आरोपी ने कथित चोरी करने के आशय या अन्य अपराध करने के लिए कथित रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया। इस प्रकार तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने उक्त घटना के समय फरियादी के आवासीय घर में प्रवेश कर चोरी करने का प्रयत्न किया।

12— अभियोजन का सम्पूर्ण मामला युक्ति—युक्त संदेह से प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी जयसिंह गोंड के घर में चोरी करने के आशय से जो मानव निवास व सम्पति अभिरक्षा के उपयोग में आता है, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार किया और प्रार्थी जयसिंह गोंड के घर जो सम्पत्ति अभिरक्षा में उपयोग में आता है, में सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय से चोरी कारित करने का प्रयत्न किया। अतएव आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा—457, 380 एवं सहपठित धारा—511 के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— 🍑 📈 आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

त अली) श्रेणी, बैहर, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, त्लाघाट जिल्ला—बालाघाट